न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 47/2012

1. श्री साबिर अली
2. श्री यामीन अली
3. श्री फेज अली
4. श्री फैजान अली
   पुत्र गण सैयद गुलाम पीर अली
5. श्रीमती सुलताना बीबी पत्नी गुलाम सैयद पीर अली, निवासीगण मं.नं0 127/20, टाटा हाउस, गली इमामबाडा, दरगाह शरीफ, अजमेर।
6. श्रीमती रेहाना बीबी पत्नी श्री अकरम अली, निवासी मकान नं0 267/20 गुजरात हाउस, गली इमाम बाडा, दरगाह शरीफ, अजमेर।
7. श्रीमती फरहाना बीबी पत्नी शानू निवासी नियाजी मंजिल,पन्नीग्राम चौक, अजमेर।

--------अपीलान्ट्स

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर
2. श्रीमती कोसर अनीस पत्नी श्री अनीस चिश्ती जाति मुसलमान निवासी झालरे के उपर, दरगाह शरीफ, अजमेर।

.....रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री पी. गण्डेविया, श्री पुष्पेन्द्र सिंह रावत अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री घनश्यामसिंह लखावत अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 2
2. श्री शुभकरण सिंह चौधरी राजकीय अभिभाषक

आदेश

दिनांक :– 17.11.2016

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हटूण्डी के नामान्तरकरण संख्या 7 दिनांक NIL के द्वारा वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट सं0 02 के पक्ष में स्वीकृत किया गया। तहसीलदार अजमेर के इसी आक्षेपीय आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टस को नोटिस जारी किये गये तथा अधिनस्थ न्यायालय से सम्बन्धित रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पों0 सं0 02 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

सर्वप्रथम रेस्पों. अभिभाषक ने अपीलार्थीगण की अपील मयाद बाहर होने से मयाद बिन्दु पर ही अपील खारिज योग्य बताई। जवाब में अपीलार्थीगण अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के कथनों को दौहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने से कथित नामान्तरकरण की पूर्व में जानकारी नहीं थी। दिनांक 8.10.2012 को पटवारी हल्का, हटूण्डी से जानकारी हुई। जानकारी पश्चात प्रमाणित प्रति प्राप्त कर पैसों का बन्दोबस्त कर अपील तैयार करवाकर जानकारी दिनांक से अविलम्ब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई। प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा जानकारी बाद अपील प्रस्तुति में कोई लापरवाही नहीं की है, जो विलम्ब हुआ वह सद्भाविक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सद्भाविक विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील को गुणावगुण के आधार पर निर्णित फरमावें। हमने इन कथनों पर मनन किया रेकार्ड देखा। न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम का स्वीकार करते हुये

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

17/11/2016

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

अदभाविक विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अपील गुणावगुण पर निस्तारित करने का निश्चय किया गया। उभय पक्ष की बहस अपील सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्टस ने अपील तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि बाबत अपीलान्ट्स के पूर्वज एवं रेस्पोडेन्ट सं0 2 के पूर्वज के मध्य घोषणा एवं कब्जे का वाद उपखण्ड अधिकारी अजमेर के न्यायालय मे विचाराधीन होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम हटुण्डी की वादग्रस्त आराजी बाबत आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 07, अपीलान्ट को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना रेस्पोडेन्ट सं0 2 के पक्ष में स्वीकृत कर दिया गया। वादग्रस्त भूमि के सन्दर्भ में न तो वक्फ करने का रेस्पोडेन्ट सं0 2 को अधिकार था एवं ना ही मुस्लिम विधि के अनुसार इसका वक्फ किया जा सकता है। लिस्पेंडेंस के प्रावधानों के अनुसार भी धारा 52 सम्पति अधिनियम के तहत ऐसा हस्तान्तरण त्रूटिपूर्ण एवं विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय को आक्षेपित नामान्तरकरण खोलने से पूर्व नियम 121(4) राजस्थान भू–राजस्व(भू–अभिलेख) अधिनियम 1957 के प्रावधानों के तहत जलसे–ए–आम में कार्यवाही की जानी थी, जो नहीं की गई जिसके अभाव में अपीलान्ट्स को न तो सुनवाई का अवसर दिया गया एवं ना ही भूमि के कब्जे के सन्दर्भ में जांच की गई। इस कारण आक्षेपित नामान्तरकरण त्रूटिपूर्ण एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर वादग्रस्त आराजी बाबत तहसीलदार अजमेर द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पक्ष में खोला गया आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 07 को निरस्त किया जावें व नामान्तरकरण की समस्त कार्यवाही वाद विचाराधीन रहते स्थगित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

जवाब में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 2 ने निवेदन किया कि अपीलान्ट्स को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। उनके द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज हो चुका है तथा आज दिनांक तक पुनः नम्बर पर नहीं लिया गया है। अभिलिखित खातेदार काश्तकार द्वारा कोसर अनीस को मुतवली बनाते हुए जो वक्फ बनाया गया था उक्त वक्फ के नाम उक्त भूमि का नामान्तकरण होने की जानकारी वर्तमान अपीलाकर्तागण को सदैव से थी। अपीलान्ट्स का नाम विगत चार दशक से अधिक अवधि से नहीं है। केवल कल्पनाओं के आधार पर सोच कर पटवारी हल्का से आक्षेपित नामान्तरकरण की जानकारी होने के कहे गये कथन असत्य है। अपीलान्ट्स द्वारा अपने कथनों की ताईद में कोई शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्ट्स का वादग्रस्त आराजी पर कोई कानूनन अधिकार नहीं है। पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर अपीलान्ट्स के हक में आक्षेपित नामान्तरकरण खोला गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स अस्वीकार कर सव्यय खारिज की जावें।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया रिकार्ड पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट्स का वादग्रस्त आराजी बाबत उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के न्यायालय में खातेदारी उदघोषणा एवं कब्जे का वाद विचाराधीन है। पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर पारित अपीलाधीन नामान्तरकरण में किस कदर की कानूनी कमी अथवा भूल है इसे अपीलान्ट्स व्यक्त करने में असमर्थ रहे है। नामान्तरकरण एक Fiscal proceeding है जिससे हक अधिकार तय नहीं होते है। नियमित वाद के लम्बित रहते नामान्तरकरण के विरूद्ध प्रस्तुत इस अपील के जरिये अपीलान्ट्स कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते है। अपीलान्ट वांछित अनुतोष हेतु अपना पक्ष वाद में प्रस्तुत करें। अतः अपील अपीलान्ट्स उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर इस स्तर पर स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 17.11.2016 को मेरे इजलास सुनाया गया।

17/11/2016

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner